

परियोजना का नाम – मसूरी सीवरेज योजना
लैन्ड शेड्यूल
(वन विभाग)

जिला	प्रभाग का नाम	वन ब्लॉक	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल (हे०)
देहरादून	मसूरी	रॉक विलफ स्टेट, कैमल बैंक ज़ोन	सीवर टैंक- 20 मी० एग्रीच रोड - 300 मी०	15 मी० 4.5 मी०	0.165

अधिशारी अभियन्ता
प्रयोक्ता एजेंसी
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
मसूरी (देहरादून)
सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
मसूरी (देहरादून)

उप-प्रभागीय वनाधिकारी (देहरादून)
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

लैन्ड शेड्यूल
जिलाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
मसूरी, जि० देहरादून

सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/ जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

जिला	तहसील	ब्लॉक	खतारा सं०	कुल रकबा	याचित क्षेत्रफल (हे०)
देहरादून	—	—	—	—	—

आयुक्त तहसीलदार
मसूरी

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
मसूरी (देहरादून)

प्रयोक्ता एजेंसी
अधिशारी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
मसूरी (देहरादून)

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
देहरादून

जिलाधिकारी
Dehra Dun.

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

अधिसारी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी (देहरादून) कटुम्ब बिहार, ग्राम व पोस्ट सिनोला, देहरादून 1176/एसटी0पी0/38 दिनांक 15-5-2013 एवं 1828/एसटी0पी0/152 दिनांक 17-7-2013 के क्रम में उनके द्वारा अपनी स्वामित्व वाली रौक विलफ इस्टेट वन स्वरूप भूमि पर प्रस्तावित पट्टुच मार्ग, सीवर लाईन एवं एसटी0पी0 निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि/क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किए जाने का अनुरोध किया गया है। तदनुसार श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग के पत्रांक 3896 / 12-1 दिनांक 3-6-2013, पत्रांक 197 / 12-1 दिनांक 20-7-2013 एवं पत्रांक 824 / 12-1 दिनांक 19-9-2013 के अनुपालन में दिनांक 10-6-2013 एवं दिनांक 22-7-2013 तथा 25-9-2013 को उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी (देहरादून) के प्रतिनिधि, नगर पालिका, मसूरी के मानचित्रकार व वन विभाग के निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति में स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न की गयी है।

1. श्री हेमशंकर मैन्दोला, वन क्षेत्राधिकारी, मसूरी राजि।
2. श्री बलबीर सिंह रावत, वन दरोगा, मसूरी रेंज।
3. श्री सुरेन्द्र प्रसाद भट्ट, वन बीट अधिकारी, मरेसिप्रंग बीट।
4. श्री एम.एम.सरपाल, सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी।
5. श्री दीपक कत्स, अपर सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी।
6. श्री आदित्य शाह, मानचित्रकार, नगरपालिका परिषद, मसूरी।

1. रौक विलफ इस्टेट वन स्वरूप सूची क्रमांक 43 के अनुसार वन स्वरूप के रूप में दर्ज है।
2. रौक विलफ इस्टेट अन्तर्गत आवेदक की कुल 1650 वर्ग मीटर अर्थात् 0.1650 हे० क्षेत्र में पट्टुच मार्ग, सीवर लाईन एवं एसटी0पी0 का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई निर्माण प्रस्तावित नहीं है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य का विवरण	भूमि का स्वरूप	संख्या	प्रस्तावित भूमि की नपत			
				लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल (वर्गमी० में)	क्षेत्रफल (हे० में)
1	पट्टुच मार्ग, सीवर लाईन	वन स्वरूप		300.00	4.50	1350.00	
2	सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (0.7 एम0एल0डी0)	वन स्वरूप	1	20.00	15.00	300.00	
	कुल योग-					1650.00	0.1650

3. वर्णित भूमि/क्षेत्र के उत्तर दिशा में रौक विलफ इस्टेट दक्षिण दिशा में कैमल्स बैंक रोड, पूरब फर्न हिल इस्टेट तथा पश्चिम दिशा में रौक विलफ इस्टेट स्थित है। प्रस्तावित निर्माण स्थल की जी0पी0एस0 रीडिंग निम्नवत् है:-

बिन्दु-ए-	N- 30°-27'-50.8"	E- 078°-04'-24.6"	Hight- 1944 Mt.
बिन्दु-बी-	N- 30°-27'-50.3"	E- 078°-04'-25.0"	Hight- 1944 Mt.
बिन्दु-सी-	N- 30°-27'-49.9"	E- 078°-04'-24.6"	Hight- 1958 Mt.
बिन्दु-डी-	N- 30°-27'-50.6"	E- 078°-04'-24.3"	Hight- 1947 Mt.

4. अधिसारी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी (देहरादून) के स्वामित्व की भूमि पर प्रस्तावित निर्माण कार्य में निम्नलिखित व्यास वर्ग के वृक्ष अवस्थित हैं:-

क्र.सं०	वृक्ष प्रजाति	व्यास वर्ग	पूँछों की संख्या	अवस्थिति
1	बाँज	10-20	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 2 मीटर दूरी पर अवस्थित है।
2	बाँज	20-30	1	निर्माण में बाधक प्रत्यावर्तन करना है।
3	बाँज	20-30	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 8 मीटर दूरी पर अवस्थित है।
4	बाँज	10-20	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 8 मीटर दूरी पर अवस्थित है।
5	बाँज	0-10	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 8 मीटर दूरी पर अवस्थित है।
6	बाँज	10-20	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 10 मीटर दूरी पर अवस्थित है।
7	बाँज	10-20	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 12 मीटर दूरी पर अवस्थित है।
8	बाँज	10-20	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 8 मीटर दूरी पर अवस्थित है।
9	बाँज	10-20	1	निर्माण में बाधक प्रत्यावर्तन करना है।
10	बाँज	10-20	1	निर्माण में बाधक प्रत्यावर्तन करना है।
11	बाँज	10-20	1	निर्माण में बाधक प्रत्यावर्तन करना है।
12	बाँज	10-20	1	निर्माण में बाधक प्रत्यावर्तन करना है।
13	बाँज	10-20	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 3 मीटर दूरी पर अवस्थित है।
14	बाँज	10-20	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 3 मीटर दूरी पर अवस्थित है।
15	बाँज	10-20	1	निर्माण में बाधक प्रत्यावर्तन करना है।
16	बाँज	10-20	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 5 मीटर दूरी पर अवस्थित है।
17	बाँज	10-20	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 7 मीटर दूरी पर अवस्थित है।
18	बाँज	10-20	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 10 मीटर दूरी पर अवस्थित है।
19	बाँज	10-20	1	निर्माण में बाधक प्रत्यावर्तन करना है।
20	बाँज	10-20	1	निर्माण में बाधक प्रत्यावर्तन करना है।
21	बाँज	10-20	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 2 मीटर दूरी पर अवस्थित है।
22	बाँज	10-20	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 2 मीटर दूरी पर अवस्थित है।
23	बाँज	10-20	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 3 मीटर दूरी पर अवस्थित है।
24	बाँज	0-10	1	निर्माण में बाधक प्रत्यावर्तन करना है।
25	बाँज	10-20	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 5 मीटर दूरी पर अवस्थित है।
26	बाँज	10-20	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 5 मीटर दूरी पर अवस्थित है।

5. प्रस्तावित निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि न्यूनतम है, तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। बाधक वृक्षों को याचक विभाग द्वारा पातन न करके प्रत्यावर्तन किया जाना है।

चूंकि रीक क्लिफ इस्टेट वन स्वरूप है, जिसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होंगे तथा स्थल पर किसी भी गैर वानिकी कार्य (Non-forestry-activities) के लिए भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति प्राप्त करनी आवश्यक है।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
वन बीट अधिकारी,
मसूरी राजि, मसूरी।

(बलवीर सिंह रावत)
वन दरोगा,
मसूरी राजि, मसूरी।

(हेमलंकर मैन्गला)
वन सेक्टरिकारी,
मसूरी राजि, मसूरी।

(एम.ए.एम. सरपाल)
सहायक अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन
विकास एवं निर्माण निगम,
मसूरी।

(दीपक बरस)
अपर सहायक अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन
विकास एवं निर्माण निगम,
मसूरी।

(आदित्य शर्मा)
मानचित्रकार,
नगर पालिका परिषद, मसूरी

उप प्रभागीय वन अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
देहरादून

प्रभागीय वन अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer, Construction Branch, Uttarakhand Payjal Nigam, Mussoorie(Dehradun) for "Sewerage Treatment Plant in Kamelback Joun" under FCA-1980 of 0.1650 ha. of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of, " Sewerage Treatment Plant in Kamelback Joun ". The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated 17-12 - 2013.

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a Reserve Forest + Pravate Forest + Civil Forest (RF ha.+ PF 0.1650 ha.+CF ha.) = 0.1650 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

No rare/endangered/unique species of flora and fauna is found in the area.

No protected archeological/heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area.

- a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.
- b) AS such, recommendation is being provided.

(Signature)



Place - Mussoorie

Date - 17-12 - 2013.

Name - (Dr. Dheeraj Pandey)

Designation. प्रभागीय वनाधिकारी

Office Seal मसूरी वन-प्रभाग, मसूरी

N.B x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 ha. of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 ha. of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.